परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 16-183/2014/एक/7-1/स्था, भोपाल, दिनांक21 मई, 15

मंत्रि-परिषद के लिये संक्षेपिका

विषय:-मंत्रालय सहायकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत होने पर आ रही कठिनाईयों का निराकरण हेतु पुन: विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति।

--0--

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान दिये के आदेश जारी किये गये हैं। मंत्रालय के सहायकों को द्वितीय समयमान वेतनमान रूपये 4500-7000 स्वीकृत किया गया था। बाद में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की मांग पर उक्त आदेश में संशोधन किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2013/04.03.2013 द्वारा मंत्रालय के सहायकों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रूपये 4500-7000 के स्थान पर 5500-9000 स्वीकृत करते हुए दिनांक 01.04.2006 से लागू किया गया है।

2/ वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप मंत्रालय के सहायक वर्ग-2 द्वारा द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रूपये 4500-7000 के अनुसार विकल्प दिये गये। कुछ सहायक वर्ग-2 से सहायक वर्ग-1 पद पर वेतनमान रूपये 5500-9000 में पदोन्नति होने पर सहायक वर्ग-1 के वेतन निर्धारण किया जाए। बाद में संशोधित आदेश अनुसार द्वितीय समयमान वेतनमान 5500-9000 स्वीकृत होने के कारण कुछ सहायक ग्रेड-1 के वेतन से वसूली की स्थिति निर्मित हो रही है।

3/ सहायक ग्रेड-3 के ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो गई, को द्वितीय उच्चतर वेतनमान रूपये 4500-7000 के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से ही वेतनमान 5500-9000 स्वीकृत किये जाने से

अनुभाग अधिकारी
(नियम शाखा)

सहायक वर्ग-1 को हो रही आर्थिक क्षति को कम करने के उद्देश्य से उन्हें समयमान वेतनमान रूपये 4500-7000 हेतु दिये गये विकल्प के स्थान पर वेतनमान रूपये 5500-9000 हेतु दिनांक 01.04.2006 से विकल्प भरने की अनुमति संबंधी प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, जिस पर असहमति व्यक्त की गई।

तदोपरांत पुन: संघ की मांग के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों पर नस्ती वित्त विभाग को भेजी गई और दूसरी बार भी वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

4/ पुन: मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त बैठक लेकर दोनों विभागों को मिलाकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा उपरांत पुन: अभिमत चाहा गया जो निम्नानुसार है :-

<u>वित्त विभाग का अभिमत-</u>

"मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण, 2009 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिये शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम होगा। यदि किसी एक प्रकरण में उक्त अनुसार विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है तब यह अन्य समान प्रकरणों पर भी प्रभावी हो सकता है। प्रचलित प्रक्रिया अनुसार वित्त विभाग सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है। विभाग अगर चाहे तो सक्षम स्तर पर इसको विचारार्थ रख सकता है।"

5/ विभाग के मत में वित्त विभाग का अभिमत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। समयमान वेतनमान योजना दिनांक 01.04.2006 से लागू की गई है और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2008 के अनुसार मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 को द्वितीय उच्चतर वेतनमान रूपये 4500-7000 निर्धारित था इसलिए स्वाभाविक रूप से उसी के अनुसार विकल्प भरे

अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग (नियम शाखा)

गये, किन्तु बाद में उक्त द्वितीय उच्चतर वेतनमान को आदेश दिनांक 4 मार्च, 2013 द्वारा रूपये 5500-9000 संशोधित करते हुए दिनांक 01.04.2006 से ही इसे लागू किया गया है। यदि तत्समय रूपये 5500-9000 का वेतनमान होता तो विकल्प भी उसी अनुसार भरे जाते। चूंकि वेतनमान संशोधित हुआ है, इसलिए विकल्प भी संशोधित करने की अनुमति देने के संबंध में प्रकरण मंत्रि-परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

6/ संक्षेपिका पर माननीय राज्यमंत्री का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग (नियम शाखा)

मंत्रि-परिषद् आदेश का प्रारूप

निर्णय लिया गया कि-

मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 को द्वितीय उच्चतर वेतनमान रूपये 4500-7000 को आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा दिनांक 01.04.2006 से संशोधित कर रूपये 5500-9000 स्वीकृत करने के फलस्वरूप संशोधित वेतनमान अनुसार पुन: विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए वित्त विभाग के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में संशोधन की आवश्यकता हो तो उक्त सीमा तक संशोधित किया जाए।